ालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांक: 28.09.2021

संख्या :–153 / 2021

ः- 2021/285

धिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

ाश आ0 मोरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सण्डीला ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवॉ जिला न्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
सुरजा बेवा मोरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सण्डीला ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
राजेश आ0 मोरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सण्डीला ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
. पिताराम आ0 मोरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सण्डीला ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
5. मुकेश आ0 मोरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सण्डीला ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
6. मंशाराम आ0 मोरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सण्डीला ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
7. किसकन्धा पुत्री मोरपाल हाल पत्नी रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. प्रेम बाई पुत्री मोरपाल हाल पत्नी बिरधीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कालानला तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 30.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सण्डीला पटवार मण्डल मानपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी की जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 85 नया व 83 पुराना के अनुसार खसरा संख्या 137 / 11–03, 178 / 03–16, 184 / 04–13, 285 / 860 / 01–01, 306 / 00–03, 334 / 01–01, 49 / 00–13, 671 / 04–10, 698 / 04–03, 701 / 02–00, 89 / 00–15, 915 / 249 / 00–08 कुल किता 12 कुल रकबा 34 बीघा 07 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की है। यह कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सदभावना पूर्वक नामान्तकरण संख्या 577 दिनांक 28.06.2014 को भूल के कारण फोरूलाल आत्मज [illegible] गया है जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेजों में कैलाश आ0 मोरपाल दर्ज है [illegible] व मे फोरूलाल नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नही अतः जमाबंदी में प्रार्थी का नाम कैलाश [illegible] दर्ज किया जावे। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, शपथ–पत्र, दसवीं की अंकतालिका व अन्य पहचान के आदि पेश किये।

तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार कैलाश आ0 मोरपाल को फोरूलाल आ0 मोरपाल के नाम माना जाता है। मोरपाल के वारिसान में फोरूलाल नाम का अन्य कोई भी वारिस नहीं है। लाल एवं कैलाश एक ही व्यक्ति है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन या। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट गंभीरा में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की र्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी का नाम संशोधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का र्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम सण्डीला पटवार मण्डल मानपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी की माबंदी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 85 नया व 83 पुराना के अनुसार खसरा संख्या 137/11–03, 8/03–16, 184/04–13, 285/860/01–01, 306/00–03, 334/01–01, 49/00–13, 1/04–10, 698/04–03, 701/02–00, 89/00–15, 915/249/00–08 कुल किता 12 कुल रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा कृषि भूमि में दर्ज ''फोरूलाल आ0 मोरपाल'' के स्थान पर '' फोरूलाल उर्फ कैलाश 10 मोरपाल'' दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में नाया गया।

शिवराम

उपखण्ड अधिकारी

नैनवाँ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner